तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23-04-2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थित–** श्री शिवप्रकाश चौधरी उप–राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित एकतरफा कार्यवाही। –––– **निर्णय** यह रेफरेन्स अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), अलवर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 25–01–2006 के द्वारा अपनी अभिशंषा के साथ राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया है। 2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, **अलवर** ने धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय में एक रेफरेंस पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रतनगढ़ तहसील **अलवर** की जमाबंदी संवत 1996 के मुताबिक साबिक खसरा नंबर 26 रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा किस्म गै0मु0नाला दर्ज थी। एस.डी.ओ. अलवर के विनियमन आदेश दिनांक 25–10–1977 द्वारा उक्त खसरा नंबर 26 से बने 26/2 की भूमि 2 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी दोयम के रूप में प्रभाती पुत्र हरिया व दुल्ला पुत्र हरिया मीणा को आवंटित की गई तथा नामांतरकरण संख्या 111 गैरखातेदारी उनके पक्ष में स्वीकृत हुआ। इसके पश्चात् पश्चातवर्ती नामांतरकरण संख्या 211, 153 भी स्वीकृत किये गये तथा अप्रार्थीगण के पक्ष में जमाबंदी संवत 2059–62 में प्रविष्टि की गई। 3– यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं थी। परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि की किस्म परिवर्तन कर उक्त आराजी विपक्षी के नाम खातेदारी में दर्ज की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि को गै0मु0नला सिवायचक के रूप में दर्ज करने हेतु यह रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित किया	

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है। 4– हमने विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी। 5– विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पूर्व में विवादग्रस्त **आराजी गै0मु0नला** सिवायचक के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उन्होंने कहा कि नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमियां है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2–8–2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15–8–1947 की स्थिति को रेकार्ड अनुसार बहाल किया जाना है। अन्त में उन्होंने विवादित आराजी के संबंध में अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में किये गये इन्द्राज को निरस्त कर आराजी को राजस्व रेकार्ड में **पूर्ववर्ती गै0मु0नला** दर्ज करने का निवेदन किया। 6– हमने विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 7– पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम की जमाबंदी संवत 1996 का अवलोकन किया जिसके मुताबिक साबिक खसरा नंबर 26 रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा की किस्म गै0म0नला दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल संवत 2020 से यह स्पष्ट है कि खसरा नरंबर 27 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 26 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा कायम किये गये हैं तथा मिलान क्षेत्रफल संवत 2051 में खसरा नंबर 26/4 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 65 रकबा 0.38 हैक्टर कायम किये गये हैं। नामांतरकरण संख्या 111 में खसरा नंबर 26/4 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी–दोयम प्रभाती, हरियाण व दुल्ला पुत्र हरिया मीण सा. देह गैर खातेदार के नाम स्वीकृत है। इसके पश्चात् नामांतरकरण संख्या 153 दूल्या के फोत होने पर उसके वारिसान रामकंवार, रामसहाय, बद्री, प्रभू पिसरान दूला कौम मीणा सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ। नामांतरकरण संख्या 211 भी विवादित भूमि के संबंध में अप्रार्थीगण के नाम स्वीकृत किया गया है तथा हाल जमाबंदी संवत 2059 से 2062 में नवीन खसरा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नंबर 65 रकबा 0.38 किस्म बारानी–2 हीरालाल, रामजीवन पिसरान प्रभाती 1/2 हिस्सा, रामकुवार, रामसहाय, बद्री, प्रभू पिसरान दूल्या 1/2 हिस्सा कौम मीणा सा0 देह खातेदार (राहिन बहक अलवर सह. भूमि विकास बैंक 1/2 हीरालला रामजीवन) अंकित है। इससे स्पष्ट है कि भूमि पूर्व में गै.मु. नला दर्ज थी जिसमें से विवादित भूमि की किस्म परिवर्तित कर अप्रार्थीगण को आवंटित किया गया है तथा नामांतरकरण स्वीकृत किया गया है। 8– राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार **''नला''** किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार हैः– **"4. Land not available for allotment under these rules.-** The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely- (i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955" 9- इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः– **16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-** Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in- (ii)Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank; 10- प्रश्नगत भूमि पूर्व में **नाला** की भूमि अंकित होने से उक्त आराजी धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः– All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land.	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act at rules must be amended accordingly. 11- उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः इस प्रकार की स्थिति में जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा मण्डल को प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की भूल नहीं है। रेफरेन्स स्वीकार योग्य पाया जाता है। 12– परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर नामांतरकरण संख्या 111 153 व 211 निरस्त किये जाते हैं तथा ग्राम रतनगढ़ के खसरा नंबर 65 रकबा 0.38 गै0मु0 नला से गै.मु. बारानी–2 के अप्रार्थीगण के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में किये गये इन्द्राज को आवंटन/नियमन किये गये आदेश की सीमा तक निरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा विवादित भूमि को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 1996 के अनुसार वापिस उसके मूल स्वरुप किस्म **"गै0मु0नला"** राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	